

**विविफाई इण्डिया फाइनेंस  
प्राइवेट लिमिटेड**

(CIN:U65923TG2016PTC110767)  
UNIT A, 9TH FLOOR, MJR MAGNIFIQUE, SURVEY NO  
75 & 76, KHAJAGUDA X ROADS, RAIDURGAM,  
HYDERABAD, TELANGANA - 500008

**ऋण समझौता  
निष्पादित द्वारा**

उधार लेने वाले का नाम:

खाता संख्या :

यह ऋण समझौता (इसके बाद इसे समझौता, या ऋण या लाइन या क्रेडिट लाइन के रूप में संदर्भित किया गया है) \_\_\_\_\_ दिन (इसके बाद इसे प्रभावी तिथि के रूप में संदर्भित) से प्रभावी बनाया गया है।

विविफाई इण्डिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है, जो ९वीं मंजिल, एमजेआर मैग्नीफिक, रायदुर्गम, हैदराबाद ५००००८ में अपने भौतिक कार्यालय और अपनी वेबसाइट और डिजिटल लेंडिंग ऐप्स ( डी एलए) के माध्यम से काम कर रही है। फ्लेक्ससैलरी, फ्लेक्सपे, और फ्लेक्सपेलोन (इसके बाद ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत असाइनमेंट शामिल होंगे)

और

मुख्य तथ्य में -

उधारकर्ता और सह- उधारकर्ता होने के संबंध में यहां दिए गए कथन (इसके बाद इसे "अनुसूची" के रूप में संदर्भित किया गया है) को इसके बाद सामूहिक रूप से "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि यह उसके संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, का अर्थ माना जाएगा और इसमें उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे। एक से अधिक उधारकर्ताओं (अर्थात् सह-उधारकर्ता होने) के मामले में, "उधारकर्ता" शब्द का संदर्भ ऐसा माना जाएगा जैसे कि यह बहुवचन था और इस दस्तावेज़ को तदनुसार पढ़ा जाएगा जैसे कि बनाया

गया है और देनदारियां ली गई हैं के उनमें से प्रत्येक संयुक्त रूप से और अलग-अलग संदर्भ में पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का संदर्भ के विपरीत से शामिल है।

उधारकर्ता इसके द्वारा अपरिवर्तनीय और बिना शर्त निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है:

अ) उधारकर्ता के आवेदन ("आवेदन") के अनुसार, ऋणदाता ने अनुसूची में उल्लिखित राशि (इसके बाद "ऋण" के रूप में संदर्भित) से अधिक नहीं की सीमा के साथ एक ऋण स्वीकृत किया है, और उधारकर्ता इसे उधार लेने के लिए सहमत है, ऋण आवेदन और/या इस अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों के अधीन। इसमें शामिल किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, उधारकर्ता प्रभावी तिथि से किसी भी समय ऋण को रद्द कर सकता है, बशर्ते कि उस समय पूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया जाए, जिसमें कम से कम, उस समय बकाया पूरा मूलधन, कोई ब्याज और शामिल हो सकता है। अन्य शुल्क जो इस अनुबंध से जुड़ी अनुसूची के अनुसार ऐसे समय में ऋण पर देय हो गए हैं। उधारकर्ता किसी भी सट्टा या अवैध या असामाजिक उद्देश्य के लिए ऋण का उपयोग नहीं करेगा।

ब) ऋण प्रसंस्करण शुल्क, दस्तावेज़ीकरण शुल्क, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिफॉल्ट ब्याज, निरंतर लाइन उपयोग पर सशर्त ब्याज, लेनदेन शुल्क, व्यापारी शुल्क, ब्याज या शुल्क के रूप में गणना किए गए किसी भी अन्य शुल्क, देय बकाया राशि और पैसा, लागत और व्यय प्रतिपूर्ति योग्य, और उनमें से कोई भी बकाया है या नहीं, इसके बाद बकाया के रूप में समय-समय पर सामूहिक रूप से "बकाया शेष" के रूप में जाना जाता है। उधारकर्ता, ऐसी समय अवधि के भीतर और इस अनुबंध (टेनर) से जुड़ी अनुसूची के तहत निर्धारित तरीके से, ऋण पर ब्याज, अवैतनिक देय ब्याज और अन्य सभी बकाया शुल्क, शुल्क और धन (डिफॉल्ट ब्याज को छोड़कर) का भुगतान करेगा। , यहां अनुसूची में निर्दिष्ट ब्याज दर पर, संवितरण की तारीख से बकाया दैनिक शेष पर, मासिक दरों पर साधारण ब्याज के आधार पर, जबकि कंपनी अवैतनिक और अतिदेय ब्याज को संयोजित करने का अधिकार बरकरार रखती है। ऋणदाता अपने विवेक से समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए परिवर्तनों सहित ब्याज की उक्त दर को

बदलने का हकदार होगा, जो उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा। उधारकर्ता को समय-समय पर लागू होने वाले सभी करों यदि कोई हो का भी भुगतान और वहन करना होगा, । उधारकर्ता, अवधि के भीतर, ऋण चुकाएगा और समय-समय पर देय ब्याज का भुगतान मासिक भुगतान के माध्यम से करेगा जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है या जैसा कि समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है (समय का सार है) अनुबंध)। उधारकर्ता ने ब्याज और शुल्क की गणना करने की ऋणदाता की पद्धति के साथ-साथ मूलधन, ब्याज और शुल्क में उसके विनियोग को भी पढ़ लिया है, समझ लिया है और उससे सहमत हो गया है। उधारकर्ता द्वारा सभी धनराशि का भुगतान संबंधित देय तिथियों पर या उससे पहले, ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहां ऋणदाता को आवश्यकता हो, बिना किसी सेट-ऑफ या काउंटरक्लेम या रोक या कटौती के (कानून द्वारा अपेक्षित को छोड़कर उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय राशि उस राशि तक बढ़ा दी जाएगी जो ऐसी कटौती या रोक लगाने के बाद मूल देय राशि के बराबर हो जाती है जैसे कि कोई रोक या कटौती की आवश्यकता नहीं थी), पोस्ट-डेटेड चेक सहित एक या अधिक मोड और उपकरणों के माध्यम से ("पीडीसी"), स्थायी निर्देश (एसआई) / इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) निर्देश / यूपीआई भुगतान / एनएसीएच / अन्य मोड या उपकरण, जो समय-समय पर ऋणदाता को स्वीकार्य हो। यदि कोई देय तिथि किसी गैर-व्यावसायिक दिन पर आती है, तो उधारकर्ता द्वारा भुगतान तुरंत पिछले व्यावसायिक दिन पर किया जाएगा। चेक/अन्य लिखत के मामले में, भुगतान उधारकर्ता द्वारा केवल उस समय किया गया माना जाएगा जब धनराशि जमा की जाती है और ऋणदाता के खाते में पूरी तरह से वसूल की जाती है, चाहे लिखत की तारीख या प्राप्ति या कोई इंस्ट्रूमेंट प्रस्तुत करने का समय कुछ भी हो। किसी भी डिफॉल्ट के मामले में, उधारकर्ता को ऋणदाता के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूची में उल्लिखित दर पर या ऋणदाता द्वारा निर्धारित दर पर अतिरिक्त/डिफॉल्ट ब्याज का भुगतान तब तक लागू ब्याज दर से अधिक करना होगा और पूरा भुगतान कर दिया गया है और डिफॉल्ट ठीक हो गया है। यह दायित्व किसी भी डिफॉल्ट के लिए औचित्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

क ) उधारकर्ता ऋणदाता को अनुसूची में निर्दिष्ट या ऋणदाता द्वारा समय- समय पर निर्दिष्ट किए गए चार्जस, शुल्क, कमीशन आदि का भुगतान ऐसे समय के भीतर या निर्दिष्ट घटनाओं के घटित होने पर करेगा और यदि निर्दिष्ट नहीं है तो तुरंत भुगतान करेगा। ऋणदाता द्वारा मांग की गई अन्य सभी वर्तमान और भविष्य की लागत और व्यय, कर (समय-समय पर लागू), किसी भी संबंधित लेवी, स्टैम्प शुल्क, सभी न्यायालयों में, इस या अन्य दस्तावेजों या उसके परिणामस्वरूप किसी भी लेनदेन के संबंध में, चाहे लाभार्थी कोई भी हो, ऋणदाता द्वारा वहन और भुगतान पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रवर्तन, सुरक्षा का संरक्षण, पुनर्प्राप्ति, आरंभ करना या बचाव करना या ऋणदाता द्वारा किसी भी कानूनी कार्यवाही या कार्रवाई को आगे बढ़ाना शामिल है। ऐसी किसी भी राशि के मामले में यदि ऋणदाता द्वारा भुगतान किया जाता है या खर्च किया जाता है, तो उधारकर्ता ऋणदाता को तुरंत इसकी पूरी प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ड ) अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी भी भुगतान या ऋण, सुरक्षा के संबंध में किसी भी वसूली को निम्नलिखित क्रम में बकाया शेष और / या देनदारियों (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) के लिए विनियोजित किया जाएगा: (ए) सबसे पहले , ऋणदाता द्वारा किए गए लागत और व्यय के प्रति; (बी) द्वितीय प्रकार से, किसी भी शुल्क, कमीशन, शुल्क, कर, लेवी (जहां भी लागू हो) के लिए; (सी) तीसरा, निरंतर लाइन उपयोग पर अतिरिक्त ब्याज / डिफॉल्ट ब्याज / सशर्त ब्याज के लिए; (डी) चौथा, किसी भी और सभी शुल्क सहित लेकिन लेन-देन शुल्क और विलंब शुल्क तक सीमित नहीं है; (ई) पांचवां, ब्याज के लिए (एफ) छठा, मूल राशि के लिए। ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत खाते का कोई भी विवरण उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा और उसमें किसी प्रकट त्रुटि को छोड़कर उसमें उल्लिखित रकम की सत्यता का निर्णायक प्रमाण।

इ ) इस समझौते सहित किसी भी दस्तावेज में कुछभी बताए जाने के बावजूद, ऋण जारी रखना ऋणदाता के पूर्ण विवेक पर निर्भर करेगा और ऋणदाता अवधि के दौरान किसी भी समय, बकाया राशि का भुगतान करें और ऋणदाता द्वारा ऐसी मांग पर, उधारकर्ता को बुलाए जाने के 48 घंटों के भीतर, अपने विवेक से और बिना कोई कारण बताए

ऋण लेने वाले को कॉल कर सकता है और उधारकर्ता बिना किसी देरी या देरी के ऋणदाता को संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

फ ) उधारकर्ता इसका सूचित और गारंटी देता है, जिसे संवितरण की तिथि पर और उसके बाद प्रत्येक तिथि पर ऋणदाता के संपूर्ण पुनर्भुगतान दायित्वों के पूरा होने तक दोहराया गया माना जाएगा: (ए) उधारकर्ता भारत का नागरिक है और 21 वर्ष से अधिक आयु का है और स्वस्थ दिमाग का है और ऋण के संबंध में इस अनुबंध या अन्य दस्तावेज के तहत अनुबंध करने और उसमें शामिल होने और अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है; (बी) ऋण और सभी के संबंध में इस समझौते या अन्य दस्तावेजों द्वारा विचार किए गए किसी भी लेनदेन में प्रवेश करने और / या करने के लिए उधारकर्ता के लिए कानून, निर्णय, आदेश, पुरस्कार, अनुबंध या अन्यथा के तहत कोई बाधा प्रतिबंध नहीं है। अनुमोदन और सहमति, जहां भी आवश्यक हो, विधिवत प्राप्त कर ली गई है और पूरी तरह से लागू रहेगी; (सी) इसका निष्पादन उधारकर्ता के कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्वों का गठन करता है; (डी) डिफॉल्ट की कोई मौजूदा घटना नहीं है; (ई) उधारकर्ता द्वारा की गई सभी घोषणाएँ सत्य और पूर्ण हैं और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी दबाई या छिपाई नहीं गई है।

ग ) उधारकर्ता समय-समय पर ऋणदाता के पक्ष में या उसके लाभ के लिए ऐसे मूल्य की, ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से ऐसी सुरक्षा प्रदान करेगा और बनाएगा, जो ऋणदाता द्वारा आवश्यक समझे जाने पर तुरंत ऋणदाता, ऋण की अवधि के लिए आवश्यक हो। । ऋणदाता को ऋण देने से पहले या बाद में किसी भी समय उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य नियम और शर्तों को निर्धारित करने का भी अधिकार होगा, जो उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

ह ) निम्नलिखित घटनाओं में डिफॉल्ट की घटनाएँ शामिल होंगी (हर एक "डिफॉल्ट की घटना"), और उनमें से किसी के घटित होने पर संपूर्ण बकाया राशि तुरंत देय हो जाएगी और उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाएगी और ऋणदाता अन्य बातों के साथ-साथ संपूर्ण राशि को वापस लेने में भी सक्षम होगा। बकाया शेष और/या कोई सुरक्षा लागू करना और उसे हस्तांतरित करना या बेचना और/या बकाया की वसूली के लिए ऋणदाता द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही को लेना,

शुरू करना और आगे बढ़ाना: (ए) उधारकर्ता की ओर से इनमें से कोई भी कार्य करने में विफलता इस समझौते के तहत ऋण के संबंध में लागू दायित्व या नियम या शर्तें या अनुबंध या ऋणदाता द्वारा मांग किए जाने पर बकाया राशि के पूर्ण या किसी भी हिस्से में गैर-भुगतान सहित अन्य दस्तावेज; (बी) उधारकर्ता द्वारा कोई गलत बयानी या, या गलत स्टेटमेंट (सी) किसी भी परिस्थिति या परिणाम या घटना की जो उधारकर्ता की बकाया राशि या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने या किसी भी दायित्व को पूरा करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है; (डी) यदि उधारकर्ता या उसकी संपत्ति या किसी सुरक्षा के खिलाफ किसी कुर्की, संकट, निष्पादन या अन्य प्रक्रिया को किसी व्यक्ति द्वारा धमकी दी जाती है, लागू किया जाता है या लगाया जाता है; या (ई) ऋणदाता की राय में, ऋणदाता द्वारा अपेक्षित मूल्य से कम किसी भी सुरक्षा के मूल्य में गिरावट, कमी या कमी; (एफ) ऋणदाता की पूर्व सूचना के बिना मृत्यु, दिवालियापन, व्यवसाय में विफलता, उधारकर्ता के दिवालियापन के कार्य का कमीशन, या किसी भी कारण से रोजगार या पेशे या व्यवसाय में परिवर्तन या समाप्ति की घटना।

ई ) उधारकर्ता अनुबंध करता है और सहमत होता है कि, ऋणदाता की पूर्व, विशिष्ट और स्पष्ट लिखित सहमति को छोड़कर, उधारकर्ता ऋण की अवधि के दौरान ऐसा नहीं करेगा: (ए) किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई और ऋणग्रस्तता पैदा नहीं करेगा, मान लेगा या उस पर बोझ नहीं डालेगा; या किसी व्यक्ति को कोई राशि उधार देना या अग्रिम देना; या कोई गारंटी या सुरक्षा दायित्व लेता है; (बी) ऋणदाता के पक्ष को छोड़कर, इसकी किसी भी संपत्ति, अधिकार, शीर्षक या ब्याज, प्राप्य, या उसके किसी भी हिस्से को बेचना, लाइसेंस देना, किराए पर देना, पट्टे पर देना, स्थानांतरित करना, अलग करना, किसी भी तरीके से निपटान करना, समर्पण करना या अन्यथा भार उठाना या अपनी किसी भी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क, ऋणभार या ग्रहणाधिकार बनाने, सुविधा देने या अनुमति देने या ऐसी किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को खरीदने, पट्टे पर लेने या अन्यथा अधिग्रहण करने का कोई विकल्प या अन्य अधिकार प्रदान करना; (सी) कानूनी या लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण में किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन की अनुमति देना या प्रभाव डालना; (डी) आवेदन में बताए गए वर्तमान रोजगार या पेशे या व्यवसाय को बदलना या बंद करना या

सेवानिवृत्त होना या समाप्त करना या इस्तीफा देना; या किसी ऋणदाता खाते को बदलें, समाप्त करें या खोलें।

ज ) इस समझौते या किसी अन्य दस्तावेज़ या व्यवस्थ में किसी भी विपरीत बात के बावजूद:

(i) ऋणदाता, उसके सहयोगियों, समूह संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं, माता-पिता, सहायक कंपनियों में से किसी के प्रति उधारकर्ता की सभी और किसी भी वर्तमान और भविष्य की देनदारियों के संबंध में। उनकी शाखाएँ (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक संस्थाएँ"), चाहे इस दस्तावेज़ के तहत या किसी अन्य दायित्व या ऋण या सुविधाओं या उधार या दस्तावेज़ के तहत, चाहे ऐसी देनदारियाँ स्पष्ट हों, वास्तविक हों या आकस्मिक, प्राथमिक या संपार्श्विक या कई या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, चाहे एक ही मुद्रा में या अलग-अलग मुद्राओं में, चाहे मूल ऋण के रूप में या और / या गारंटर के रूप में और / या अन्यथा कैसे भी (सामूहिक रूप से "देनदारियाँ"), प्रत्येक ऋणदाता और प्रासंगिक संस्थाएं किसी भी सामान्य ग्रहणाधिकार या समान अधिकार के अतिरिक्त होंगी बैंकरों के रूप में उनमें से कोई भी कानून, अभ्यास, सीमा शुल्क या अन्यथा के तहत हकदार हो सकता है, सभी उधारकर्ता के वर्तमान और भविष्य के स्टॉक, शेयर, प्रतिभूतियाँ, संपत्ति, पुस्तक ऋण, सभी खातों में सभी धन पर एक विशिष्ट और विशेष ग्रहणाधिकार रखता है, चाहे वह चालू हो, बचत, ओवरड्राफ्ट, सावधि या अन्य जमा, ऋणदाता और/या किसी भी प्रासंगिक संस्थाओं के पास या हिरासत में, कानूनी या रचनात्मक, अभी या भविष्य में, चाहे उधारकर्ता की समान या अलग क्षमता में, और चाहे अलग-अलग या संयुक्त रूप से अन्य, चाहे किसी भी बैंकिंग संबंध, सुरक्षित अभिरक्षा, संग्रह, या अन्यथा के लिए, चाहे एक ही मुद्रा में या विभिन्न मुद्राओं में; और

(ii) अलग-अलग, ऋणदाता और संबंधित संस्थाओं में से प्रत्येक के पास उधारकर्ता को नोटिस दिए बिना और उसकी सहमति के बिना, ऐसी सभी राशियों को सेट-ऑफ, ट्रांसफर, बेचने, वसूल करने, समायोजित करने, उचित करने का विशिष्ट और व्यक्ति अधिकार होगा। खाते (चाहे समय से पहले या ऋणदाता के विवेक के अनुसार परिपक्वता पर), किसी भी देनदारी के संबंध में देय राशि की वसूली के उद्देश्य से या उसके विरुद्ध उपरोक्त उल्लिखित प्रतिभूतियाँ, रकम और संपत्ति, चाहे वह किसी विशेष देनदारी के लिए निर्धारित हो या नहीं, उधारकर्ता के सभी या किसी भी खाते को संयोजित या समेकित करें और किसी भी दस्तावेज़ में उल्लिखित डिफॉल्ट की

घटनाओं में से किसी के घटित होने पर, किसी भी प्रकार या प्रकृति या नहीं और चाहे एक ही क्षमता में रखे गए हों या नहीं, संबंधित देनदारियों के किसी भी हिस्से के भुगतान में किसी भी चूक पर बंद कर दें। (iii) ऋणदाता और संबंधित संस्थाओं को किसी भी जमा राशि सहित किसी भी संपत्ति पर पहला प्रभार रखने और रखने और जारी रखने के लिए माना जाएगा, जिस पर ऋण के संबंध में सुरक्षा बनाई गई है/बनाई जाएगी, साथ ही इनमें से किसी के लिए भी सुरक्षा होगी। चाहे ऋण कुछ भी हो, अन्य देनदारियां और ऋण के लिए बनाई गई किसी भी सुरक्षा या शुल्क के संदर्भ में ऋणदाता में निहित सभी अधिकार और शक्तियां ऋणदाता और/या संबंधित संस्थाओं को ऐसी अन्य देनदारियों के संबंध में भी उपलब्ध होंगी। किसी भी समय बकाया है, चुकाया गया है या संतुष्ट है या नहीं और ऋण चुकाए जाने या प्रीपेड होने के बाद भी।

च) ऋणदाता अवधि के दौरान किसी भी समय, उधारकर्ता की सहमति या नोटिस के बिना, ऋण के तहत ऋणदाता के अधिकारों और दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को, इस दस्तावेज़ या किसी अन्य दस्तावेज़ को बेच, आवंटित, छूट या हस्तांतरित कर सकता है। किसी भी व्यक्ति(ओं) को और ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर जैसा कि ऋणदाता तय कर सकता है। उधारकर्ता इस/अन्य दस्तावेज़ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौंपने या किसी भी तरीके से हस्तांतरित करने का हकदार नहीं होगा, चाहे वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, ऋण के तहत कोई अधिकार, लाभ या दायित्व हो।

ल) ऋणदाता अपने विवेक से, उधारकर्ता के जोखिम और लागत पर, किसी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता या एजेंट या एजेंसी की सेवाएं लेने या प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसके लिए या उसके संबंध में या उसके अनुसरण में कुछ भी करने की आवश्यकता होगी। ऋण, जिसमें संग्रहण, बकाया की वसूली, सुरक्षा का प्रवर्तन, उधारकर्ता या उधारकर्ता की संपत्ति की कोई भी जानकारी प्राप्त करना या सत्यापित करना, और कोई भी आवश्यक या आकस्मिक वैध कार्य या कार्य या मामले और उससे जुड़ी चीजें शामिल हैं, जैसा कि ऋणदाता उचित समझ सकता है।

म) ऋणदाता को यह अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन, तस्वीरें, जानकारी और दस्तावेज़ वापस न करे। ऋणदाता, उधारकर्ता को नोटिस दिए बिना या

उसकी सहमति के बिना, व्यक्तिगत जानकारी, दस्तावेजों, ऋण, चूक, सुरक्षा के संबंध में विवरण सहित उधारकर्ता से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा करने का पूरी तरह से हकदार और पूर्ण अधिकार रखता है, भारतीय क्रेडिट सूचना ब्यूरो (CIBIL) और / या किसी अन्य सरकारी या नियामक या वैधानिक या निजी इकाई, क्रेडिट ब्यूरो, RBI, ऋणदाता की सहायक कंपनियों या सहयोगियों या रेटिंग एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं, अन्य बैंकों या के प्रति उधारकर्ता के दायित्व अन्य वित्तीय संस्थान, कोई तीसरा पक्ष, कोई समनुदेशिनी या संभावित समनुदेशिनी या हस्तांतरिनी, जिन्हें जानकारी की आवश्यकता हो सकती है और जानकारी संसाधित कर सकते हैं, ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकाशित करें जो प्रकाशक या ऋणदाता या आरबीआई द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है, जिसमें प्रकाशन भी शामिल है। समय-समय पर जानबूझकर चूक करने वालों की सूची के हिस्से के रूप में नाम, साथ ही केवाईसी सूचना सत्यापन, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण, या अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। इस संबंध में, उधारकर्ता अनुबंध की गोपनीयता और निजता के विशेषाधिकार को छोड़ देता है। ऋणदाता को बिना किसी नोटिस के या उधारकर्ता की सहमति के बिना, अन्य बैंकों या वित्त संस्थाओं या क्रेडिट ब्यूरो, उधारकर्ता के नियोक्ता या परिवार के सदस्यों, किसी भी अन्य व्यक्ति से संपर्क करने, पूछताछ करने, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। उधारकर्ता से संबंधित व्यक्ति, ट्रैक रिकॉर्ड, क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए या उधारकर्ता के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए या उधारकर्ता से बकाया की वसूली के उद्देश्य से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए।

न ) ऋणदाता द्वारा दिया गया या किया गया कोई भी नोटिस, अनुमोदन, निर्देश, मांग और अन्य संचार सामान्य डाक, कूरियर, पंजीकृत डाक, प्रतिकृति, इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यक्तिगत डिलीवरी, एसएमएस या पूर्व-द्वारा भेजे जाने पर विधिवत दिया और परोसा गया माना जाएगा। आवेदन में दिए गए उधारकर्ता के पते, फोन या मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर या ईमेल को संबोधित भुगतान किया गया पंजीकृत मेल (या बदले गए पते पर जिस पर ऋणदाता की पावती विधिवत प्राप्त की गई है) और ऐसे नोटिस और सेवा को माना जाएगा सामान्य डाक, कूरियर, पंजीकृत डाक के मामले में पोस्टिंग की तारीख के बाद तीसरे कार्य दिवस पर, व्यक्तिगत डिलीवरी द्वारा दिए जाने पर डिलीवरी के समय, प्रतिकृति द्वारा दिए जाने पर ट्रांसमिशन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, भेजने पर प्रभावी होगा

इलेक्ट्रॉनिक मेल या एसएमएस यदि इलेक्ट्रॉनिक मेल या एसएमएस द्वारा दिया गया है। उधारकर्ता अनुसूची में दिए गए डाक पते, ईमेल आईडी, फोन और मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव के बारे में ऋणदाता को हमेशा लिखित रूप में सूचित करने और ऐसे किसी भी बदलाव के लिए ऋणदाता को दी गई सूचना पर ऋणदाता की लिखित पावती प्राप्त करने का वचन देता है।

ओ) ऋण, यह समझौता या कोई अन्य दस्तावेज़, भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे। यहां पार्टियां स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि ऋण, इस समझौते या किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ से उत्पन्न होने वाले और/या संबंधित सभी विवाद हैदराबाद की अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे, बशर्ते कि पूर्वोक्त विशिष्टता उधारकर्ता को बाध्य करेगी और ऋणदाता बाध्य होगा। किसी अन्य स्थान पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य न्यायालय में इसे आगे बढ़ाने का हकदार होगा; और यह भी प्रदान करें कि यदि कोई विवाद बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की आर्थिक क्षेत्राधिकार सीमा से नीचे है, तो ऐसे विवाद को मध्यस्थता के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और सुलह अधिनियम, 1996, जिसे ऋणदाता द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा संशोधित किया जा सकता है, या इसे पुनः अधिनियमित किया जा सकता है। इस तरह की मध्यस्थता की लागत हारने वाले पक्ष द्वारा वहन की जाएगी या अन्यथा मध्यस्थता पुरस्कार में निर्धारित की जाएगी यदि किसी पक्ष को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई द्वारा मध्यस्थ पुरस्कार लागू करने की आवश्यकता होती है, तो जिस पक्ष के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है वह सभी उचित भुगतान करेगा। लागत और व्यय और वकील की फीस, जिसमें पुरस्कार को लागू करने की मांग करने वाली पार्टी द्वारा उठाए गए अतिरिक्त मुकदमेबाजी या मध्यस्थता की कोई भी लागत शामिल है।

## अनुसूची - ऋण व्यवस्था

A) उधारकर्ता का नाम:

B) निवास का पता :

C) वर्तमान नियोक्ता :

D) विस्तारित ऋण सुविधा: रु.

E) क्रेडिट लाइन प्रारंभ तिथि:

F) नगदी भुगतान के लिए घोषणा करना

आप अपने खाते से क्रेडिट सीमा तक नकद अग्रिम का अनुरोध कर सकते हैं। नकद अग्रिमों को सीधे आपके निर्दिष्ट बैंक खाते में स्थानांतरित करने या किसी अन्य समझे गए व्यापारी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण या भुगतान करने का अनुरोध किया जा सकता है, जहां वितरण एक विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए होता है। यदि किसी न्यूनतम भुगतान देय (अनुसूची के खंड एल देखें) का कोई हिस्सा अतीत में बकाया हो तो नकद अग्रिम निलंबित किया जा सकता है।

G) हम आपकी शेष राशि के आधार पर सभी वित्त शुल्कों की गणना कैसे करेंगे:

हम सभी वित्त शुल्कों की गणना के आधार के रूप में दिन के अंत में बकाया मूलधन का उपयोग करते हैं। हम बिलिंग चक्र में दिनों की संख्या के लिए आपके खाते के "दिन के अंत में बकाया मूलधन शेष" (वर्तमान लेनदेन सहित) पर दैनिक आवधिक ब्याज दर लागू करके आपके खाते पर वित्त शुल्क की गणना करते हैं।

सभी वित्त शुल्कों की गणना बिना किसी चक्रवृद्धि के केवल साधारण ब्याज के आधार पर की जाती है।

प्रक्रमण संसाधन शुल्क	एकमुश्त प्रोसेसिंग शुल्क रु. पहली निकासी पर उधारकर्ता के लाइन ऑफ क्रेडिट आवेदन को संसाधित करने के लिए 0.00 का शुल्क लिया जाता है।
तत्त्व	बकाया शेष राशि ऋण के संवितरण की तारीख से 36 महीने के भीतर उधारकर्ता द्वारा चुकानी हो गी।
ऋण पर ब्याज	रु. प्रत्येक रुपये के लिए 10. उधार ली गई राशि के लिए आनुपातिक 10,000 प्रति दिन और बकाया की अवधि 36.50% प्रति वर्ष के बराबर है, यदि पूरी अवधि के दौरान बकाया बना रहता है।
निरंतर लाइन उपयोग पर सशर्त ब्याज	रु.175.00 प्रत्येक के लिए रु. 10,000 प्रति माह बकाया राशि और अवधि के लिए आनुपातिक 21% प्रति वर्ष के बराबर निरंतर लाइन उपयोग पर सशर्त ब्याज की छूट उधारकर्ता द्वारा किए जा रहे प्रत्येक पुनर्भुगतान के लिए, ऋणदाता अपने विवेक से पूर्ववर्ती बिलिंग अवधि के लिए निरंतर लाइन उपयोग पर इस सशर्त ब्याज को माफ कर सकता है, यदि भुगतान की गई राशि सभी बकाया ब्याज और देय शुल्क के योग के बराबर या उससे अधिक है उस समय बकाया मूल शेष के एक तिहाई (1/3) के साथ।
ब्याज देना	आपसे प्रत्येक लेनदेन की तारीख से दैनिक आवधिक ब्याज लिया जाएगा।
लेनदेन प्रसंस्करण शुल्क	विस्तृत अनुसूची के आधार पर खाते पर किए गए लेनदेन पर शुल्क खंड k के नीचे प्रदान किया गया है।
डिफॉल्ट शुल्क	कोई नहीं
विलंब शुल्क	कोई नहीं
पेनाल्टी फीज़	कोई नहीं

#### H) क्रेडिट सीमा

ऋणदाता ने यहां अनुसूची में उल्लिखित राशि से अधिक का ऋण स्वीकृत नहीं किया है और उधारकर्ता उसे उधार लेने के लिए सहमत है।

उधारकर्ता अवधि के दौरान किसी भी समय बकाया मूल शेष और सभी बकाया वित्त शुल्क चुकाकर ऋण को बंद या रद्द कर सकता है।

ऋणदाता समय-समय पर 300 रुपये से लेकर रुपये के बीच क्रेडिट पुनर्मूल्यांकन शुल्क लेकर उधारकर्ता की सहमति से क्रेडिट सीमा के उन्नयन सहित नवीनीकृत क्रेडिट शर्तों की पेशकश कर सकता है। 500 प्रति पुनर्मूल्यांकन में बिलिंग साइकिल.

आपका बिलिंग चक्र आम तौर पर आपके द्वारा हमें प्रदान की गई आय चक्र की जानकारी के अनुरूप होगा। यानी अगर आपको मासिक आय प्राप्त होती है तो आपका बिलिंग चक्र मासिक होगा। ध्यान दें कि प्रारंभिक बिलिंग चक्र नियमित बिलिंग चक्र से भिन्न हो सकता है। प्रारंभिक

#### I) बिलिंग चक्र

इस अनुबंध की तारीख से लेकर आपकी आय प्राप्त करने की अगली निर्धारित तिथि से एक दिन पहले तक रहेगा। भुगतान देय तिथियां आम तौर पर आय प्राप्त करने के लिए आपकी निर्धारित तिथि के अनुरूप होंगी।

#### J) क्लिंग ऑफ/ लुक- अप अवधि

उधारकर्ता पहले संवितरण के 7 दिनों के भीतर बकाया मूल शेष और सभी बकाया वित्त शुल्कों का भुगतान करके ऋण को बंद कर सकता है।

#### K) लेन देन प्रसंस्करण शुल्क

लेनदेन शुल्क प्रदान किए गए लेनदेन मूल्य के आधार पर लिया जाता है -रुपये से कम के लेनदेन के लिए। शुल्क 100 रुपये होगा। निकासी के लिए 2 और रु. पुनर्भुगतान लेनदेन के लिए 0.

-100 रुपये से अधिक या इसके बराबर और 500 रुपये से कम के किसी भी लेनदेन के लिए, निकासी और पुनर्भुगतान दोनों लेनदेन के लिए शुल्क 5 रुपये होगा।

-500 रुपये से अधिक या 1500 रुपये से कम के किसी भी लेनदेन के लिए, निकासी और पुनर्भुगतान दोनों लेनदेन के लिए शुल्क 10 रुपये हो गा।

-1500 रुपये से अधिक या 2500 रुपये से कम के किसी भी लेनदेन के लिए, निकासी के लिए 20 रुपये और पुनर्भुगतान लेनदेन के लिए 10 रुपये शुल्क लिया जाएगा।

-2500 रुपये से अधिक या इसके बराबर और 5000 रुपये से कम के किसी भी लेनदेन के लिए, निकासी के लिए 30 रुपये और पुनर्भुगतान लेनदेन के लिए 10 रुपये शुल्क लिया जाएगा।

-5000 रुपये से अधिक या इसके बराबर और 10000 रुपये से कम के किसी भी लेनदेन के लिए, निकासी के लिए 50 रुपये और पुनर्भुगतान लेनदेन के लिए 20 रुपये शुल्क लिया जाएगा।

-10000 रुपये से अधिक या उसके बराबर के किसी भी लेनदेन के लिए, निकासी के लिए शुल्क 50 रुपये और पुनर्भुगतान लेनदेन के लिए 25 रुपये होगा।

-फीस की गणना के प्रयोजन के लिए, लेनदेन राशि को हमेशा निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा

प्रत्येक कैलेंडर माह में पहले पुनर्भुगतान और पहले निकासी लेनदेन खाते के लिए, निम्नलिखित शुल्क लिया जाएगा जैसा कि 2000 रुपये से अधिक या नीचे या उसके बराबर क्रेडिट सीमा वाले ऋणों के लिए दिखाया गया है।

-200 रुपये से कम मूल्य के लेनदेन के लिए, निकासी और पुनर्भुगतान लेनदेन के लिए शुल्क 0 रुपये होगा।

-200 रुपये से अधिक या उसके बराबर लेनदेन मूल्य के लिए, निकासी या पुनर्भुगतान लेनदेन पर उपरोक्त उल्लिखित शुल्क का केवल 50% लिया जाता है।

L) न्यून तम भुगतान बकाय ।

प्रत्येक बिलिंग चक्र के दौरान आप हमें डिमांड ड्राफ्ट, प्रमाणित फंड या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा कम से कम देय तिथि ("भुगतान देय तिथि") का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं। यदि भुगतान देय तिथि बैंक अवकाश के दिन पड़ती है, तो

हम प्राप्त भुगतान को अगले कार्य दिवस पर क्रेडिट कर देंगे जैसे कि वह निर्धारित भुगतान देय तिथि पर प्राप्त हुआ हो।

आपके न्यूनतम देय भुगतान की गणना उस बिलिंग चक्र के लिए ऋणदाता द्वारा निर्धारित सभी अवैतनिक ब्याज और शुल्क, यदि कोई हो, को शामिल करने के लिए की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि ऋणदाता बिलिंग विवरण में बकाया मूलधन के 2.5% से 33.34% के बीच मूलधन पुनर्भुगतान की भी सलाह देता है लेकिन इसे वैकल्पिक रखता है। इस सलाह का उद्देश्य आपको अपना ऋण तेजी से चुकाने में मदद करना है। यदि आप प्रत्येक विवरण के साथ मूलधन का पुनर्भुगतान नहीं करना चुनते हैं या सलाह दी गई राशि भेजने में असमर्थ हैं, तो आप अपने खाते को पिछले बकाया या डिफॉल्ट के रूप में चिह्नित होने से बचाने के लिए केवल आपके विवरण पर देय ब्याज और शुल्क ही हमें भेज सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रखें कि यद्यपि आपके खाते को पिछले बकाया या डिफॉल्ट के रूप में चिह्नित नहीं किया जाएगा, आपका बकाया मूलधन कम नहीं किया जाएगा। यदि आप प्रत्येक बिलिंग चक्र में केवल न्यूनतम देय भुगतान का भुगतान करते हैं, तो आपको ब्याज में अधिक भुगतान करना होगा और आपकी शेष राशि का भुगतान करने में अधिक समय लगेगा।

यदि आप हमें डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर मेल करते हैं, तो आपका भुगतान आपके लाइन ऑफ क्रेडिट अकाउंट नंबर के साथ होना चाहिए और इस अनुबंध के पहले पृष्ठ पर दिए गए पते पर भेजा जाना चाहिए। यदि कोई डाक से भेजा गया भुगतान इन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, तो भुगतान की प्रक्रिया और आवेदन में देरी हो सकती है, या भुगतान अस्वीकार किया जा सकता है। उधारकर्ता समझता है कि इस अनुसूची में सूचीबद्ध सभी शुल्क ऋणदाता की क्रेडिट नीति के अनुसार हैं और परिवर्तन के अधीन हैं। ऋणदाता शुल्क, व्यापारी शुल्क, निरंतर लाइन उपयोग पर सशर्त ब्याज, विलंब शुल्क आदि सहित अपने विवेक के आधार पर किसी भी या सभी उधारकर्ताओं को किसी भी शुल्क का आकलन नहीं करने का विकल्प चुन सकता है।

M) भुगतान का आवेदन

सभी भुगतान पहले अर्जित और अवैतनिक शुल्क पर, फिर अर्जित और अवैतनिक ब्याज पर और फिर मूलधन पर लागू किए जाएंगे।

N ) आप इस अनुबंध के अनुसार हमें देय सभी नकद अग्रिम, ब्याज, शुल्क और अन्य सभी राशियों का भुगतान करने का वादा करते हैं।

## **आपके लोन अकाउंट में डिफॉल्ट**

### **A ) डिफॉल्ट और इलाज**

आपको इस अनुबंध के तहत डिफॉल्ट माना जा सकता है: (ए) यदि हम निर्धारित भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले न्यूनतम भुगतान प्राप्त करने में विफल रहते हैं; (बी) यदि आप इस अनुबंध के तहत समय पर अनुपालन या किसी अन्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहते हैं; (सी) यदि आपके द्वारा हमें दिया गया कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी गलत या भ्रामक है; या (डी) यदि आप शुरू करते हैं, या यदि कोई अन्य व्यक्ति आपको दिवालियापन, दिवाला या रिसीवरशिप कार्यवाही में डालता है। आप पिछली सभी देय राशियों का भुगतान करके या अपनी शेष राशि का पूरा भुगतान करके डिफॉल्ट को ठीक कर सकते हैं।

### **B ) डिफॉल्ट की स्थिति में हमारे अधिकार**

यदि आप इस अनुबंध के तहत डिफॉल्ट हैं, तो हम अपने विकल्प पर और कानून द्वारा अनुमति के अनुसार निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्य कर सकते हैं: (i) आपके संपूर्ण खाते की शेष राशि को तुरंत देय और देय घोषित करें और इसे एकत्र करने के लिए आगे बढ़ें; (ii) अपना खाता बंद करें या अपनी क्रेडिट सीमा कम करें; (iii) कानून द्वारा दिए गए अन्य सभी अधिकारों, शक्तियों और उपायों का प्रयोग करें; और (iv) आपसे सभी शुल्कों, लागतों और खर्चों की वसूली की जाएगी, जिसमें कानून द्वारा अनुमत सभी संग्रह लागत, अदालती लागत और उचित वकील की फीस शामिल है। हम डिफॉल्ट या हमारे पक्ष में निर्णय के बाद कानून द्वारा अनुमत अधिकतम दर पर ब्याज वसूल और एकत्र कर सकते हैं।

यदि आप इस अनुबंध के तहत डिफॉल्ट हैं, तो हम अपने विकल्प पर और कानून द्वारा अनुमति के अनुसार निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्य कर सकते हैं: (i) आपके संपूर्ण खाते की शेष राशि को तुरंत देय और देय घोषित करें और इसे एकत्र करने के लिए आगे बढ़ें; (ii) अपना खाता बंद करें या अपनी क्रेडिट सीमा कम करें; (iii) कानून द्वारा दिए गए अन्य सभी अधिकारों, शक्तियों और उपायों का प्रयोग करें; और (iv) आपसे सभी शुल्कों, लागतों और खर्चों की वसूली की जाएगी, जिसमें कानून द्वारा अनुमत सभी संग्रह लागत, अदालती लागत और उचित वकील की फीस शामिल है। हम डिफॉल्ट या हमारे पक्ष में निर्णय के बाद कानून द्वारा अनुमत अधिकतम दर पर ब्याज वसूल और एकत्र कर सकते हैं।

### **C) डिफॉल्ट पर भुगतान प्राधिकरण**

ऐसी स्थिति में जब हम आपको इस अनुबंध के तहत डिफॉल्ट घोषित करते हैं, आप हमें और हमारे उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों को इस अनुबंध के तहत संपूर्ण बकाया राशि की राशि में आपके बैंक खाते में एक बार स्वचालित डेबिट प्रविष्टि शुरू करने के लिए अधिकृत करते हैं, जिसमें सभी शामिल होंगे बकाया मूलधन, अर्जित और अवैतनिक शुल्क, अर्जित और अवैतनिक ब्याज। आप सहमत हैं कि हम केवल डिफॉल्ट की स्थिति में, केवल त्वरण के समय बकाया राशि के लिए और खाते को डिफॉल्ट घोषित करने के बाद उचित समय के भीतर एकल इलेक्ट्रॉनिक डेबिट प्रविष्टि शुरू करेंगे। यदि आपका खाता शेष शून्य नहीं हो जाता है, तो हम डेबिट को अतिरिक्त बार पुनः शुरू कर सकते हैं। आप हमें आपके बैंक खाते से संबंधित आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सत्यापित करने के लिए अधिकृत करते हैं। यदि आपके ऋण आवेदन में या उसके साथ आपके बैंक खाते के संबंध में कोई गुम या गलत जानकारी है, तो आप हमें ऐसी जानकारी को सत्यापित करने और सही करने के लिए अधिकृत करते हैं।

### **अन्य प्रावधान**

a) किसी भी सहायता या शिकायत के मामले में, आप हमारे ऋण अधिकारियों से निम्नलिखित फोन पर संपर्क कर सकते हैं: +91.40.4617.5151

ईमेल:support@vivifin.com भौतिक मेल: यूनिट ए, 9वीं मंजिल, एमजेआर मैग्नीफिक, सर्वे नंबर 75 और 76, खाजागुड़ा एक्स रोड्स, रायदुर्गम, हैदराबाद, तेलंगाना - 500008

b)उधारकर्ता ने मुख्य तथ्य विवरण को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है।